भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2142

जिसका उत्तर शुक्रवार, 12 दिसंबर, 2025/21 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की कालाबाजारी

2142. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में उर्वरकों के कालाबाज़ारी में लिप्त व्यापारियों, जमाखोरों और भंडारों के ग़लत उपयोग के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;
(ख) पिछले तीन वर्षों में उर्वरक वितरण के रद्द किए गए पंजीकरण/लाइसेंसों की राज्य और जिला-वार संख्या कितनी है; और
(ग) पूरे देश के सभी क्षेत्रों में समय पर उर्वरक वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): विपथन, जमाखोरी, कालाबाजारी और अधिक मूल्य-निर्धारण को रोकने के लिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत उर्वरकों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्तियां दी गई हैं। इन कदाचारों के बारे में उर्वरक विभाग के स्तर पर मिली कोई भी शिकायत संबंधित राज्य सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत उचित कार्रवाई करने के लिए भेजी जाती है। तदनुसार, राज्यों से प्राप्त सूचनानुसार, दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 28.11.2025 तक की अवधि हेतु राज्यों द्वारा इन कदाचारों को रोकने के लिए किए गए प्रवर्तन उपाय **अनुलग्नक-क** में दिए गए हैं।

(ख): रदद किए गए लाइसेंस की संख्या के बारे में राज्यों से प्राप्त सूचना **अनुग्नक-ख** में दी गई है।

(ग) देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित उपाए किए जाते हैं:

(i) प्रत्येक फसल मौसम का प्रारंभ होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए विनिर्माताओं और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

हालांकि राज्य के भीतर जिला स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

****

यह अनुलग्नक दिनांक 12.12.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2142 के उत्तर के भाग (क) से संबंधित है।

25 अप्रैल से 25 नवंबर तक (28.11.2025 तक) का संचयी वितरण **अनुलग्नक-क**

राज्य सरकारों द्वारा 01.04.2025 से 28.11.2025 तक कालाबाज़ारी, जमाखोरी, डायवर्जन आदि को रोकने के लिए क्वालिटी चेक, के लिए की गई कार्रवाई।

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन			विवरण के साथ दोषसिद्ध*	कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर		जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
आंध्र प्रदेश	11181	5	3	9	10	6	3	83	0	0	7	2	3	NIL	105	11	15
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
असम	3820	12	4	1	59	0	0	36	0	0	27	0	0	NIL	134	4	1
बिहार	15499	1035	607	77	7	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	1042	607	77
छतीसगढ़	6172	294	13	4	29	1	0	136	5	0	24	0	0	NIL	483	19	4
दादर और नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
दिल्ली	255	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	NIL	3	3	1
गोवा	614	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0	NIL	602	181	6
गुजरात	12210	33	3	1	0	0	0	83	2	0	7	3	11	NIL	123	8	12
हरियाणा	4693	49	5	7	18	18	4	48	10	5	13	5	6	NIL	128	38	22
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	3694	142	44	2	31	2	0	55	0	0	8	0	0	NIL	236	46	2
झारखंड	759	57	20	11	32	4	0	2	0	0	1	1	0	NIL	92	25	11
कर्नाटक	7093	365	22	0	243	5	0	221	14	2	84	6	6	NIL	913	47	8
केरल	1299	0	0	0	0	0	0	48	0	0	4	0	3	NIL	52	0	3
मध्य प्रदेश	5581	0	0	72	0	0	0	606	44	4	631	160	15	NIL	1237	204	91
महाराष्ट्र	44059	16	0	16	0	0	0	1155	1139	37	1	73	1	NIL	1172	1212	54
मणिपुर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	NIL	1	0	0
मेघालय	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
मिजोरम	21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	NIL	5	0	0
नागालैंड	72	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1	NIL	117	64	15
ओडिशा	7031	4	3	2	0	0	0	47	1	0	1966	107	3	NIL	2017	111	5
पुडुचेरी	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	0	0	0
पंजाब	5617	37	1	1	20	0	1	192	65	3	0	0	4	NIL	249	66	9
राजस्थान	11505	589	76	46	45	17	30	451	1	2	15	16	25	NIL	1100	110	103
तमिलनाडु	18805	13	0	4	6	8	0	33	25	0	112	17	1	NIL	164	50	5
तेलंगाना	115321	5	9	3	4	2	0	79	0	0	4	0	5	NIL	92	11	8
त्रिपुरा	694	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	NIL	9	0	0
उत्तर प्रदेश	29401	2043	2742	165	164	139	8	141	130	12	88	7	12	3	2436	3018	197
उत्तराखंड	282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	NIL	43	0	0
पश्चिम बंगाल	33777	0	0	0	0	0	0	259	0	0	0	0	0	NIL	259	0	0
कुल	340076	5258	3732	442	687	202	46	3811	1437	65	3058	464	96	3	12814	5835	649

यह अनुलग्नक दिनांक 12.12.2025 को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.2142 के उत्तर के भाग (ख) से संबंधित है।

अनुलग्नक –ख

क्र.सं.	**राज्य**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (अब तक)**
1	आंध्र प्रदेश	3	2	1	4
2	अरुणाचल प्रदेश	0			
3	असम	14			
4	बिहार	उपलब्ध नहीं	92	394	326
5	छत्तीसगढ	1	3	2	7
6	दिल्ली	9			
7	गोवा	0			
8	गुजरात	3	1	7	5
9	हरियाणा	46			
10	हिमाचल प्रदेश	0			
11	जम्मू और कश्मीर	0			
12	झारखंड	0	0	0	24
13	कर्नाटक	28			
14	केरल	2	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	70	45	48	101
16	महाराष्ट्र	46	76	114	446
17	मणिपुर	0			
18	मेघालय	0			
19	मिजोरम	0			
20	नगालैंड	उपलब्ध नहीं			
21	ओडिशा	26	54	56	78
22	पुदुचेरी	0			
23	पंजाब	0	0	2	3
24	राजस्थान		4	7	11
25	तमिलनाडु	7 एफआईआर			
26	तेलंगाना	15			36
27	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं			
28	उत्तराखंड	0			
29	उत्तर प्रदेश		346	343	1314
30	पश्चिम बंगाल	उपलब्ध नहीं			

****